Chapter - 4

Perform Regular Banking Transactionsfor Customers

Describe the process for cash withdrawals and cash deposits with documents required for the transaction:

•Explain the importance / relevance of recording transactions conducted on behalf of customers.

•Explain the SOP for security procedures for handling cash / cheque transactions.

• Demonstrate ways of handling queries related to cash / non cash transactions with customer.

लेनदेन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ नकद निकासी और नकद जमा की प्रक्रिया का वर्णन करें:

• ग्राहकों की ओर से किए गए लेनदेन को रिकॉर्ड करने के महत्व/प्रासंगिकता को समझाएं।

• नकद/चेक लेनदेन को संभालने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं के लिए एसओपी की व्याख्या करें।

• ग्राहक के साथ नकद/गैर-नकद लेनदेन से संबंधित प्रश्नों से निपटने के तरीकों का प्रदर्शन करें।

On completion of the topic will be able to know about -

a. Cash / non cash transactions in the banks and under BC model.

b. Security aspects while handling the cash transactions.

Banks accept demand deposits and term deposits from the customers. Deposit accepted in savings bank accounts and current deposit accounts is known as demand deposit and all type of fixed deposits are known as term deposit. Aggregate deposits with the banks are known demand and time liabilities (DTL).

Savings Bank Accounts, Current Accounts and Overdraft Accounts are operative accounts where funds can be credited / paid through transfers, clearings NEFT and RTGS. Cash deposits and cash payments are also done subject to individual bank's policy complying with the regulatory norms. Customer's account can be debited with the authority of the customer.

Generally customers issue cheques bearing signature(s) of authorised person(s) which are available in bank's record. Payment instruments viz. Cheques, Drafts and Bankers Cheques etc. are known negotiable instruments hence provisions of NI Act 1882 are applicable. We will

describe here some important provisions which are adhered to while dealing with such instruments.

Cheque: Section 6 of the Negotiable Instruments Act defines what a 'cheque' means. According to this provision, a cheque is basically a bill of exchange drawn on a specific banker. Furthermore, it is not payable otherwise than on demand.

The Negotiable Instruments (Amendment) Act had amended this definition to make it broader in 2015. Accordingly, cheques now include the electronic image of a truncated cheque and also an electronic cheque. Despite this amendment the basic definition still remains the same.

A truncated cheque is one which undergoes truncation during a clearing cycle. Truncation basically means the conversion of a physical cheque into digital format. Either a clearing-house or a bank may do this upon generating an electronic image of a cheque.

An electronic cheque is a cheque which exists in digital format. A computer resource generates such cheques using digital signatures (either with or without biometrics).

Looking at the definition of a cheque, we can conclude that it is similar to a bill of exchange. Furthermore, it is always drawn on a banker and is payable on demand.

विषय पूरा होने पर इसके बारे में जान सकेंगे -

a) बैंकों में नकद/गैर नकद लेनदेन और बीसी मॉडल के तहत।

b) नकदी लेनदेन को संभालते समय सुरक्षा पहलू।

बैंक ग्राहकों से डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट स्वीकार करते हैं। बचत बैंक खातों और चालू जमा खातों में स्वीकार की जाने वाली जमा को माँग जमा के रूप में जाना जाता है और सभी प्रकार की सावधि जमा को सावधि जमा के रूप में जाना जाता है। बैंकों के पास जमा की गई कुल जमा राशि को ज्ञात माँग और समय देनदारियाँ (डीटीएल) कहा जाता है।

बचत बैंक खाते, चालू खाते और ओवरड्राफ्ट खाते सक्रिय खाते हैं, जहाँ धनराशि हस्तांतरण, समाशोधन एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से जमा/भुगतान की जा सकती है। नकद जमा और नकद भुगतान भी नियामक मानदंडों के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत बैंक की नीति के अधीन किया जाता है। ग्राहक के खाते से ग्राहक के अधिकार से डेबिट किया जा सकता है।

आम तौर पर ग्राहक अधिकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) के हस्ताक्षर वाले चेक जारी करते हैं, जो बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध होते हैं। भुगतान साधन अर्थात्त. चेक, ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक आदि परक्राम्य उपकरण माने जाते हैं इसलिए एनआई अधिनियम 1882 के प्रावधान लागू होते हैं।

हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का वर्णन करेंगे जिनका ऐसे उपकरणों से निपटने के दौरान पालन किया जाता है।

चेक: परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 6 परिभाषित करती है कि 'चेक' का क्या अर्थ है। इस प्रावधान के अनुसार, एक चेक मूल रूप से एक विशिष्ट बैंकर पर आहरित विनिमय का बिल है। इसके अलावा, यह माँग के अलावा अन्यथा देय नहीं है।

परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम ने 2015 में इसे व्यापक बनाने के लिए इस परिभाषा में संशोधन किया था। तदनुसार, चेक में अब कटे हुए चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और एक इलेक्ट्रॉनिक चेक भी शामिल है। इस संशोधन के बावजूद मूल परिभाषा अभी भी वही है।

ट्रंकेटेड चेक: ट्रंकेटेड चेक वह होता है जिसमें समाशोधन चक्र के दौरान काट- छाँट की जाती है। ट्रंकेशन का मूल रूप से मतलब भौतिक जाँच को डिजिटल प्रारूप में बदलना है। चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि तैयार करने पर क्लीयरिंग हाउस या बैंक ऐसा कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक चेक वह चेक है जो डिजिटल प्रारूप में मौजूद होता है। एक कंप्यूटर संसाधन डिजिटल हस्ताक्षर (बायोमेट्रिक्स के साथ या उसके बिना) का उपयोग करके ऐसे चेक उत्पन्न करता है।

चेक की परिभाषा को देखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह विनिमय बिल के समान है। इसके अलावा, यह हमेशा एक बैंकर पर आहरित होता है और माँग पर देय होता है।

Parties to a Cheque

The parties to a cheque may be as under:-

1. **Drawer:** Who Draws / Issues the cheque.
2. **Drawee:** The Banker on whose cheque is drawn.
3. **Payee:** Who is entitle to receive the mentioned sum.
4. **Holder:** The Payee
5. **Endorsee:** To whom the cheque is endorsed (Payee).

Essentials of a Cheque:

1. Must bear Date, Amount in words and figures, Payee's name or Self
2. Valid for Three Months from the date of the cheque

A SPECIMEN CHEQUE IS APPENDED BELOW:-

चेक के पक्ष

चेक के पक्ष निम्नानुसार हो सकते हैं:-

1. **आहर्ता:** चेक कौन बनाता/जारी करता है।
2. **अदाकर्ता:** वह बैंकर जिस पर चेक काटा गया है।
3. **प्राप्तकर्ता:** उल्लिखित राशि प्राप्त करने का हकदार कौन है।
4. **धारक:** भुगतानकर्ता
5. **पृष्ठांकनकर्ता:** जिसे चेक पृष्ठांकित किया जाता है (भुगतानकर्ता)।

चेक की अनिवार्यताएँ:

1. दिनाँक, राशि शब्दों और अंकों में, प्राप्तकर्ता का नाम या स्वयं अंकित होना चाहिए

2. चेक की तारीख से तीन महीने के लिए वैध

एक नमूना जाँच नीचे संलग्न है:-

Bank's logo printed with invisible ink (ultra-violet ink) (At Printing Stage): Bank's logo shall be printed in ultra-violet (UV) ink. The logo will be captured by / visible in UV-enabled scanners / lamps. It will establish genuineness of a cheque.

बैंक का लोगो अदृश्य स्याही (पराबैंगनी स्याही) से मुद्रित किया जाएगा (मुद्रण चरण में): बैंक का लोगो पराबैंगनी (यूवी) स्याही में मुद्रित किया जाएगा। लोगो को यूवी-सक्षम स्कैनर/लैंप द्वारा कैप्चर किया जाता है। यह चेक की वास्तविकता स्थापित करता है।

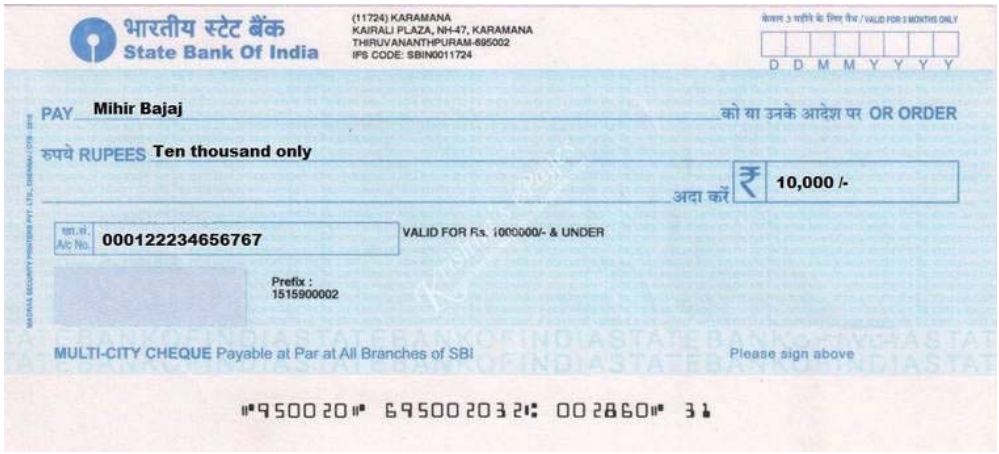

Important Parts of the Cheque:

Date, Amount and Drawer's signature

What is order or bearer cheque?

The order cheque is the one wherein the word bearer is cancelled on the cheque. As the word bearer gets cancelled the cheque automatically becomes an order cheque. An order cheque is paid to the payee across the bank's account. The identification of the payee is insisted on by the bank while presenting an order cheque while a bear cheque can be paid to the holder.

Crossing of a Cheque:

A crossed cheque is any cheque that is crossed with two parallel lines, either across the whole cheque or through the top left-hand corner of the cheque. This double-line notation signifies that the cheque may only be deposited directly into a bank account.

चेक के महत्वपूर्ण भाग:

दिनाँक, राशि और राशि निकालने वाले के हस्ताक्षर

ऑर्डर या बियरर चेक क्या है?

ऑर्डर चेक वह होता है जिसमें चेक पर वाहक शब्द को रद्द कर दिया जाता है। जैसे ही वाहक शब्द रद्द हो जाता है तो चेक स्वतः ही ऑर्डर चेक बन जाता है। ऑर्डर चेक का भुगतान प्राप्तकर्ता को बैंक के खाते से किया जाता है। ऑर्डर चेक प्रस्तुत करते समय बैंक द्वारा प्राप्तकर्ता की पहचान पर जोर दिया जाता है जबकि धारक को बियर चेक का भुगतान किया जा सकता है।

चेक को क्रॉस करना:

क्रॉस किया हुआ चेक कोई भी चेक होता है जिसे दो समानांतर रेखाओं से, या तो पूरे चेक पर या चेक के ऊपरी बाएं कोने से क्रॉस किया जाता है। यह डबल-लाइन नोटेशन दर्शाता है कि चेक केवल सीधे बैंक खाते में ही जमा किया जा सकता है।

What is crossing of cheque and its types?

1. **General Crossing –** cheque bears across its face an addition of two parallel transverse lines.

2. **Special Crossing –** cheque bears across its face an addition of the banker's name.
3. **Restrictive Crossing –** It directs the collecting banker that he needs to credit the amount of cheque only to the account of the payee.

चेक की क्रॉसिंग क्या है और इसके प्रकार?

1. **सामान्य क्रॉसिंग** - चेक के चेहरे पर दो समानांतर अनुप्रस्थ रेखाओं का जोड़ होता है।
2. **विशेष क्रॉसिंग** - चेक पर बैंकर का नाम जुड़ा होता है।
3. **प्रतिबंधात्मक क्रॉसिंग** - यह संग्रहणकर्ता बैंकर को निर्देश देता है कि उसे चेक की राशि केवल प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करनी होगी।

Demand Draft: A demand draft is issued by the bank, with the money from the customer's account who requests the demand draft. This person or customer who requests the demand draft is called the drawer while the bank that pays the money is called drawee.

The name of the person or party to whom the demand draft is to be paid to is mentioned on the DD. This person or party who receives the demand draft is called payee. The money through this demand draft can only be transferred to the payee and no other person can receive this DD.

Payment of a demand draft may not be stopped by the drawer as it may happen with a cheque. Demand Draft generally bear crossing to ensure safety.

Bankers Cheque: A Banker's Cheque is a cheque issued by the Bank payable to the order of specified payee for payment within a local area. Any variations of rate will be decided by Credit Committee on Remittances products. All Banker's Cheques are pre-printed with the crossing "NOT NEGOTIABLE".

Cash Deposits and Cash Payments: In addition to the individual bank's policy Income Tax rules are followed while processing cash receipts and payments.

डिमांड ड्राफ्ट: बैंक द्वारा एक डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाता है, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध करने वाले ग्राहक के खाते से पैसा शामिल होता है। यह व्यक्ति या ग्राहक जो डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध करता है उसे आहर्ता कहा जाता है जबकि पैसे का भुगतान करने वाले बैंक को अदाकर्ता कहा जाता है।

उस व्यक्ति या पार्टी का नाम जिसे डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान किया जाना है, डीडी पर उल्लिखित है। यह व्यक्ति या पार्टी जो डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करता है उसे आदाता कहा जाता है। इस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा केवल भुगतानकर्ता को हस्तांतरित किया जा सकता है और कोई अन्य व्यक्ति इस डीडी को प्राप्त नहीं कर सकता है।

डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान जारीकर्ता द्वारा नहीं रोका जा सकता है जैसा कि चेक के साथ हो सकता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट पर आमतौर पर क्रॉसिंग होती है।

बैंकर्स चेक: बैंकर्स चेक बैंक द्वारा जारी किया गया एक चेक है जो स्थानीय क्षेत्र के भीतर भुगतान के लिए निर्दिष्ट भुगतानकर्ता के आदेश पर देय होता है। दर में किसी भी बदलाव का निर्णय प्रेषण उत्पादों पर क्रेडिट समिति द्वारा किया जाएगा। सभी बैंकर्स चेक "परक्राम्य नहीं" क्रॉसिंग के साथ पूर्व-मुद्रित होते हैं।

नकद जमा और नकद भुगतान: व्यक्तिगत बैंक की नीति के अलावा नकद प्राप्तियों और भुगतानों को संसाधित करते समय आयकर नियमों का पालन किया जाता है।

Cash Deposits and Withdrawal – Compliance of Income Tax rules and security aspects:

1. Cash deposit Rs. 50K and above requires PAN number of the account holder. In case PAN number is not updated in the account, the customer needs to furnish Form 60 which contains declaration that the depositor (account holder) is not having taxable income in the previous financial year and for the current year hence not liable to pay the tax.
2. The customer needs to furnish a letter for large cash Deposit and withdrawal of Rs.10 Lakh and above where in source of cash receipt and purpose of withdrawal of cash is stated.
3. It is also ensured that cash transactions are not repeated frequently below the statutory limits. In such cases clarification must be sought to ensure compliance of laws.
4. Cash deposit slip must contain detail denomination wise and must tally with the total amount of cash deposit.
5. Fake note if any found in the cash receipt, it must not be returned to the customer. A slip prescribed for tendering the fake note must be filled in and acknowledgement of the tenderer (depositor) must be obtained. In case of receipt of more than three fake notes from the same person, FIR must be filed with the local police station.
6. Unauthorised people must not be allowed in the cash dealing area during the operations. Dealing official must ensure that cash drawer / cabin is locked as per policy and procedure.
7. Cash must be counted / recounted and tallied with the final day's cash balance.
8. Security guard (s) must be accompanied as per norms while carrying cash from one place to another place. In a branch / office security guard must be available and be extra alert when main vault is opened.
9. Cash shortage if any must be traced out same day and cash must be tallied by debiting suspense account in case of untraced shortage. There must be provision for recovery from the concerned official. Repeated shortage of cash for a particular official is matter of doubt which should be examined for taking suitable measures.
10. Cash counters should be opened and closed in time to avoid non-compliance of regulatory norms.

नकद जमा और निकासी - आयकर नियमों और सुरक्षा पहलुओं का अनुपालन:

1. 50K रुपये और उससे अधिक नकद जमा के लिए खाताधारक के पैन नंबर की आवश्यकता होती है। यदि खाते में पैन नंबर अपडेट नहीं किया गया है, तो ग्राहक को फॉर्म 60 प्रस्तुत करना होगा, जिसमें घोषणा शामिल है कि जमाकर्ता (खाताधारक) की पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष में कर योग्य आय नहीं है, इसलिए वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। .
2. ग्राहक को 10 लाख रुपये और उससे अधिक की बड़ी नकदी जमा और निकासी के लिए एक पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें नकदी प्राप्ति का स्रोत और नकदी निकालने का उद्देश्य बताया गया हो।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वैधानिक सीमा से नीचे नकद लेनदेन बार-बार न दोहराया जाए। ऐसे मामलों में कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए।

4. नकद जमा पर्ची में मूल्य के अनुसार विवरण होना चाहिए और नकद जमा की कुल राशि से मेल खाना चाहिए।

5. नकद रसीद में यदि कोई नकली नोट पाया जाता है, तो उसे ग्राहक को वापस नहीं किया जाना चाहिए। नकली नोट जमा करने के लिए निर्धारित पर्ची भरनी होगी और निविदाकर्ता (जमाकर्ता) की पावती प्राप्त करनी होगी। एक ही व्यक्ति के पास से तीन से अधिक नकली नोट मिलने पर स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी।

6. परिचालन के दौरान नकदी लेनदेन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नकदी दराज/केबिन नीति और प्रक्रिया के अनुसार बंद है।

7. नकदी की गणना/पुनः गणना की जानी चाहिए और अंतिम दिन के नकदी शेष के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

8. नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय नियमानुसार सुरक्षा गार्ड साथ में होना चाहिए। शाखा/कार्यालय में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध होना चाहिए और मुख्य तिजोरी खोले जाने पर अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए।

9. नकदी की कमी होने पर उसी दिन उसका पता लगाया जाना चाहिए और पता न चलने की स्थिति में सस्पेंस खाते से नकदी काटकर नकदी का मिलान किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी से वसूली का प्रावधान होना चाहिए। किसी विशेष अधिकारी के लिए बार-बार नकदी की कमी होना संदेह का विषय है जिसकी उचित उपाय करने के लिए जाँच की जानी चाहिए।

10. नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए कैश काउंटर समय पर खोले और बंद किए जाने चाहिए।

Processing of Cheques:

1. When uncrossed cheque is presented for payment in cash at the counters of the bank, the presenter should sign on the reverse of the cheque. Banks verify the signature on the cheque with specimen signature of drawer on record before making payment. The payment cashier will ask for another signature to be made by the presenter at the time of payment.

2. The banks ordinarily do not insist for presence of account holder for making cash withdrawals in case of bearer cheques unless the circumstances which warrants bankers to take precaution.

3. In case of the bearer word in the cheque is cut then it becomes an order instrument.Banks make payment of order cheque only on confirming the endorsement/s of Payee and other endorsees on the reverse of the cheque.

4. When cheque is presented for payment bearing crossing can be paid through account only to the payee's account if crossed "Account Payee" otherwise can be paid as per instructions of the holder through account. No cash is paid for crossed cheques.

5. When drawer's and payee's accounts are with the same bank payment can be settled through internal transfer transactions but if drawer and payee belong to different banks payment is settled through clearing house.

6. Nowadays Cheque Truncation System (CTS) is a process of clearing cheques electronically than processing the physical cheque by the presenting bank en-route to the paying bank branch. It is step undertaken by the RBI for quicker cheque clearance.

चेक का प्रसंस्करण:

1. जब बिना रेखांकित चेक बैंक के काउंटरों पर नकद भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तुतकर्ता को चेक के पीछे हस्ताक्षर करना चाहिए। बैंक भुगतान करने से पहले चेक पर हस्ताक्षर को रिकॉर्ड पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर के नमूने से सत्यापित करते हैं। भुगतान कैशियर, भुगतान के समय प्रस्तुतकर्ता से एक और हस्ताक्षर कराने के लिए कहेगा।
2. बैंक आमतौर पर बियरर चेक के मामले में नकद निकासी के लिए खाताधारक की उपस्थिति पर जोर नहीं देते हैं, जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ न हों जो बैंकरों को सावधानी बरतने के लिए बाध्य करती हैं।
3. यदि चेक में वाहक शब्द काट दिया जाए तो यह एक ऑर्डर लिखत बन जाता है। बैंक चेक के पीछे प्राप्तकर्ता और अन्य पृष्ठांकनकर्ताओं के समर्थन की पुष्टि करने पर ही ऑर्डर चेक का भुगतान करते हैं।
4. जब भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है तो क्रॉसिंग वाले खाते के माध्यम से केवल भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में भुगतान किया जा सकता है यदि "अकाउंट पेयी" लिखा हो अन्यथा धारक के निर्देशों के अनुसार खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। रेखांकित चेक के लिए कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता है।
5. जब भुगतानकर्ता और भुगतानकर्ता के खाते एक ही बैंक में हों तो भुगतान का निपटान आंतरिक हस्तांतरण लेनदेन के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन यदि भुगतानकर्ता और भुगतानकर्ता अलग-अलग बैंकों के हैं तो भुगतान का निपटान समाशोधन गृह के माध्यम से किया जाता है।
6. आजकल चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) भुगतानकर्ता बैंक शाखा के रास्ते में प्रस्तुत करने वाले बैंक द्वारा भौतिक चेक को संसाधित करने की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक को साफ़ करने की एक प्रक्रिया है। यह त्वरित चेक क्लीयरेंस के लिए आरबीआई द्वारा उठाया गया कदम है।

Returning of cheques:

Bank can refuse payment of cheque giving appropriate reason. Common reasons can be illustrated as under:-

1. **Funds not sufficient –** If sufficient balance is not there in the account to debit the account and pay the cheque.
2. **Drawer's signature difference –** When signature of the account holder does not match with the signature in bank's record.
3. **Exceeds arrangement –** When the customer is sanctioned with a overdraft limit / cash credit limit and sufficient limit balance is not available to meet the cheque amount.
4. **Not drawn –** When cheque is erroneously presented to other than the bank on which cheque drawn.
5. **Amount differs in words and figures –** When cheque amount written on cheque differs in words and figures.
6. **Alteration not authorised –** When there's cutting in date \ payee amount etc.

7. **Post- dated Cheque –** When cheque is presented for payment before the date on the cheque.
8. **Stale Cheque –** When cheque is presented after expiry of validity period of three months.
9. **Payment stopped by the drawer –** When payment of a cheque is stopped by the account holder.

चेक की वापसी:

बैंक उचित कारण बताकर चेक का भुगतान करने से इंकार कर सकता है। सामान्य कारणों को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:-

1. **धनराशि पर्याप्त नहीं** - यदि खाते में डेबिट करने और चेक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं है।
2. **खातेदार के हस्ताक्षर अलग-अलग होते हैं** - जब खाताधारक के हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं।
3. **अतिरिक्त व्यवस्था** - जब ग्राहक को ओवरड्राफ्ट सीमा / नकद क्रेडिट सीमा स्वीकृत की जाती है और चेक राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त सीमा शेष उपलब्ध नहीं होती है।
4. **हम पर नहीं लिखा गया** - जब चेक गलती से उस बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर चेक काटा गया था।
5. **राशि शब्दों और अंकों में भिन्न होती है** - जब चेक पर लिखी राशि शब्दों और अंकों में भिन्न होती है।
6. **परिवर्तन अधिकृत नहीं है** - जब तारीख \ आदाता राशि आदि में कटौती होती है।
7. **उत्तर दिनांकित चेक** - जब चेक को चेक पर दी गई तारीख से पहले भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
8. **बासी चेक** - जब चेक तीन महीने की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है।
9. **भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया जाना** - जब किसी चेक का भुगतान खाताधारक द्वारा रोक दिया जाता है।

Effect of returning of cheques:

1. Payment to the payee is delayed.
2. Drawer's image is impeached.
3. The payee may take legal action against the drawer u/s 138 of NI Act. He can file criminal suit against the drawer and on finding guilty the court may award 2 years imprisonment to the drawer. The reason for returning of cheque must be " insufficient funds"

The Reserve Bank of India (RBI) has envisioned the financial inclusion plan which aims to provide easy access to affordable financial products and services for the economically weaker sections and lower income groups in the country. It initiated the Business Correspondent Model in 2006. Under this framework, Business Correspondents (BCs) are authorised as third party agents by banks and deliver banking and financial services on behalf of the banks. For their services, Business Correspondents also receive commission from these banks. Business Correspondents have a pivotal role to play as they bring vital banking facilities to the financially-excluded members of the society in far-flung areas where banks do not have presence. The

Business correspondent model is actually a partnership model wherein each partner has a specific role to play.

Business correspondents are engaged by banks as retail agents to offer banking services their customers. Hence, they are instrumental in growing the outreach of banks through Kiosk Banking facilities where services & products are available at affordable cost. The Kiosk outlets are internet-enabled and serve as a convenient platform for availing basic services that would include opening a no-frills account with no minimum balance, transactions within Rs 10,000 per day, and small value deposits along with products like pension products, other third party products, etc. While the customers are guaranteed a secure and hassle-free banking experience through these kiosks operated by business correspondents, there are also some advantages for these retail agents as well in terms of good incentives.

चेक लौटाने का प्रभाव:

1. आदाता को भुगतान में देरी हो रही है।
2. दराज की छवि पर महाभियोग लगाया जाता है।
3. भुगतानकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत भुगतानकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। वह ड्रॉअर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है और दोषी पाए जाने पर अदालत ड्रॉअर को 2 साल की कैद की सजा दे सकती है। चेक लौटाने का कारण "अपर्याप्त धनराशि" होना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय समावेशन योजना की कल्पना की है जिसका उद्देश्य देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लिए किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करना है। इसने 2006 में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल की शुरुआत की। इस ढाँचे के तहत, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (बीसी) को बैंकों द्वारा तीसरे पक्ष के एजेंट के रूप में अधिकृत किया जाता है और बैंकों की ओर से बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। अपनी सेवाओं के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को इन बैंकों से कमीशन भी मिलता है। व्यवसाय संवाददाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वे दूर-दराज के क्षेत्रों में जहाँ बैंकों की उपस्थिति नहीं है, समाज के आर्थिक रूप से वंचित सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं लाते हैं। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल वास्तव में एक साझेदारी मॉडल है जिसमें प्रत्येक भागीदार की एक विशिष्ट भूमिका होती है।

बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए खुदरा एजेंट के रूप में व्यवसाय संवाददाताओं को नियुक्त किया जाता है। इसलिए, वे कियॉस्क बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से बैंकों की पहुँच बढ़ाने में सहायक हैं जहाँ सेवाएँ और उत्पाद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं। कियोस्क आउटलेट इंटरनेट-सक्षम हैं और बुनियादी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक सुविधाजनक मंच के रूप में काम करते हैं जिसमें न्यूनतम शेष राशि के बिना नो-फ्रिल्स खाता खोलना, प्रति दिन 10,000 रुपये के भीतर लेनदेन और पेंशन उत्पादों जैसे अन्य उत्पादों के साथ छोटे मूल्य जमा शामिल होंगे। जहाँ ग्राहकों को व्यवसाय संवाददाताओं द्वारा संचालित इन कियोस्क के माध्यम से एक सुरक्षित और परेशानी मुक्त बैंकिंग अनुभव की गारंटी दी जाती है, वहीं इन खुदरा एजेंटों के लिए अच्छे प्रोत्साहन के मामले में कुछ फायदे भी हैं।

Understanding Commission Model

Business Correspondents function on the basis of a commission model. They receive a commission from the bank for the services rendered by them like each new account opened for customers, money transfer transaction or new loans disbursed. According to the RBI, the banks shall pay reasonable commission to their BCs. And, the rate and quantum of the commission may be reviewed periodically. While the BCs are strictly prohibited from charging any fee from

the customers for their service, the banks are entitled to levy reasonable service charges from their customers in a transparent manner.

As per RBI, the commission structure or incentive mechanism is designed in a way that a mere rise in the number of customers served or the transaction volume does not drive the commission. The remuneration shall combine fixed and variable parts dependent, among other things, on certain indication or customer satisfaction index. Some portion of the variable remuneration could be deferred or taken back in case of deficiency of service.

आयोग मॉडल को समझना

व्यवसाय संवाददाता एक कमीशन मॉडल के आधार पर कार्य करते हैं। उन्हें उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जैसे ग्राहकों के लिए खोले गए प्रत्येक नए खाते, धन हस्तांतरण लेनदेन या वितरित नए ऋण के लिए बैंक से कमीशन मिलता है। आरबीआई के मुताबिक, बैंक अपने बीसी को उचित कमीशन देंगे और कमीशन की दर तथा मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। जबकि बीसी को अपनी सेवा के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क लेने की सख्त मनाही है, बैंक अपने ग्राहकों से पारदर्शी तरीके से उचित सेवा शुल्क वसूलने के हकदार हैं।

आरबीआई के अनुसार, कमीशन संरचना या प्रोत्साहन तंत्र को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि केवल ग्राहकों की संख्या में वृद्धि या लेनदेन की मात्रा से कमीशन नहीं बढ़ता है। पारिश्रमिक निश्चित और परिवर्तनीय भागों को मिलाकर, अन्य बातों के अलावा, कुछ संकेत या ग्राहक संतुष्टि सूचकांक पर निर्भर करेगा। सेवा में कमी के मामले में परिवर्तनीय पारिश्रमिक का कुछ हिस्सा स्थगित किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

Business Correspondent Roles and Responsibilities

Business Correspondents ensure the delivery of last mile banking services to millions of customers on behalf of the banks. The activities that are executed by them shall be within the normal course of the banking business of the concerned bank, but carried out through and by the entities at places other than the Bank's premises. With regards to all such transactions, the Business Correspondent, his or her agent shall be authorised to accept or deliver cash either at his place of work, or any suitable location subject to the ceilings per day / per customer as specified. The BCs are linked to the nearby branch of bank (also known as base Branch).

A Business Correspondent could serve as a BC for more than one bank, at the point of customer interface, the retail outlet or sub-agent of BC should represent and deliver banking services of only one particular bank. The terms and conditions governing the contract between the bank and the BC must be carefully defined in written agreements and subjected to thorough legal vetting. The Business Correspondent should adhere to the instructions specified in the contract. Furthermore, Business Correspondents are responsible for executing a gamut of functions which have been explained below:

व्यवसाय संवाददाता भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

व्यवसाय संवाददाता बैंकों की ओर से लाखों ग्राहकों तक, तथा पूरे देश में सभी स्थानों तक बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। उनके द्वारा निष्पादित गतिविधियाँ संबंधित बैंक के, बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम के भीतर होंगी, लेकिन बैंक के परिसर के अलावा अन्य स्थानों पर संस्थाओं के माध्यम से की जाएंगी। ऐसे सभी लेन-देन के संबंध में, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, उसका

एजेंट अपने कार्यस्थल या किसी उपयुक्त स्थान पर प्रति दिन/प्रति ग्राहक निर्दिष्ट सीमा के अधीन नकदी स्वीकार करने या वितरित करने के लिए अधिकृत होगा। बीसी बैंक की नजदीकी शाखा (जिसे आधार शाखा भी कहा जाता है) से जुड़े होते हैं।

एक व्यवसाय संवाददाता एक से अधिक बैंकों के लिए बीसी के रूप में काम कर सकता है, ग्राहक इंटरफ़ेस के बिंदु पर, बीसी के खुदरा आउटलेट या उप-एजेंट को केवल एक विशेष बैंक की बैंकिंग सेवाओं का प्रतिनिधित्व और वितरण करना चाहिए। बैंक और बीसी के बीच अनुबंध को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तों को लिखित समझौतों में सावधानीपूर्वक परिभाषित किया जाना चाहिए और पूरी तरह से कानूनी जाँच के अधीन होना चाहिए। व्यवसाय संवाददाता को अनुबंध में निर्दिष्ट निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, व्यवसाय संवाददाता कई प्रकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिन्हें नीचे समझाया गया है:

Attracting new customers:

- By identifying prospective customers for the bank, the business correspondents engage in generating awareness among customers on the available saving options and other financial products of the bank.
- They are responsible for educating and advising their customers on managing money, debt counselling as well as recommending small loans to target customers.
- The scope of work for BC also includes promoting, nurturing and monitoring of Self Help Groups/ Joint Liability Groups/Credit Groups/others.

Delivering products & services:

- Business correspondents execute the task of collecting and handling preliminary processing of various forms for deposits that involves verification of primary information/ data.
- They are accountable for enrolling the customers for various financial products. This also involves filling various applications or account opening forms including nomination clause and submission to the bank.
- When opening a bank account for their customers, Business correspondents also complete the entire 'know your customer' (KYC) process as part of the opening formalities involving collection of vital customer information from time to time.
- The process of opening of no frill deposit accounts and other products as permitted from time to time by leveraging technology is managed by the Business correspondents.
- They are authorised to provide mini account statements and other account related information, for a minimum period of 3 months to their customers.
- In addition, they also deliver any other service on behalf of the Bank, duly authorized by the appropriate authority.
- Besides, cross-selling micro insurance, Business correspondents also promote products through kiosk banking facilities including mutual fund products, pension products and other such third party products.

नये ग्राहकों को आकर्षित करना:

- बैंक के लिए संभावित ग्राहकों की पहचान करके, व्यवसाय संवाददाता बैंक के उपलब्ध बचत विकल्पों और अन्य वित्तीय उत्पादों पर ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने में संलग्न हैं।
- वे अपने ग्राहकों को पैसे के प्रबंधन, ऋण परामर्श के साथ-साथ लक्षित ग्राहकों को छोटे ऋण की सिफारिश करने के लिए शिक्षित और सलाह देने के लिए जिम्मेदार हैं।
- बीसी के कार्य के दायरे में स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों/क्रेडिट समूहों/अन्य का प्रचार, पोषण और निगरानी भी शामिल है।

उत्पाद एवं सेवाएँ वितरित करना:

- व्यवसाय संवाददाता जमा के लिए विभिन्न प्रपत्रों की प्रारंभिक प्रसंस्करण को इकट्ठा करने और संभालने का कार्य निष्पादित करते हैं जिसमें प्राथमिक जानकारी/डेटा का सत्यापन शामिल होता है।
- वे विभिन्न वित्तीय उत्पादों के लिए ग्राहकों का नामांकन करने के लिए जवाबदेह हैं। इसमें नामांकन खंड सहित विभिन्न आवेदन या खाता खोलने के फॉर्म भरना और बैंक को जमा करना भी शामिल है।
- अपने ग्राहकों के लिए बैंक खाता खोलते समय, व्यवसाय संवाददाता समय-समय पर महत्वपूर्ण ग्राहक जानकारी एकत्र करने वाली प्रारंभिक औपचारिकताओं के हिस्से के रूप में संपूर्ण 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) प्रक्रिया को भी पूरा करते हैं।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर समय-समय पर अनुमति के अनुसार नो फ्रिल जमा खाते और अन्य उत्पाद खोलने की प्रक्रिया का प्रबंधन व्यवसाय संवाददाताओं द्वारा किया जाता है।
- वे अपने ग्राहकों को न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए मिनी खाता विवरण और अन्य खाता संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।
- इसके अलावा, वे बैंक की ओर से उचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अन्य सेवा भी प्रदान करते हैं।
- क्रॉस-सेलिंग माइक्रो इंश्योरेंस के अलावा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स म्यूचुअल फंड उत्पादों, पेंशन उत्पादों और ऐसे अन्य तीसरे पक्ष के उत्पादों सहित कियोस्क बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से उत्पादों को भी बढ़ावा देते हैं।

Disbursing and Collection:

- The business correspondents handle the task of collection and payment of small value deposits and (cash) withdrawals the maximum value of which is Rs. 2000/- per transaction while there is no minimum limit.
- Business correspondents are accountable for handling receipt and delivery of small value remittances/ other payment instruments.
- They are responsible for disbursing small loans like entrepreneurial loans, agricultural loans, group loans, etc. depending on the partner banks guidelines.
- Their responsibility also includes collection of payment and fees from customers as per partner banks guidelines.

- For loan products, they help with collection of principal and interest complying strictly by code of conduct.
- After the loans are sanctioned, the task of monitoring is also undertaken by the business correspondents.

संवितरण और संग्रहण:

- व्यवसाय संवाददाता छोटे मूल्य की जमा राशि और (नकद) निकासी के संग्रह और भुगतान का कार्य संभालते हैं, जिसका अधिकतम मूल्य रु 2000/- प्रति लेनदेन जबकि कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।
- व्यवसाय संवाददाता छोटे मूल्य के प्रेषण/अन्य भुगतान उपकरणों की प्राप्ति और वितरण को संभालने के लिए जवाबदेह हैं।
- वे भागीदार बैंकों के दिशानिर्देशों के आधार पर उद्यमशीलता ऋण, कृषि ऋण, समूह ऋण आदि जैसे छोटे ऋण वितरित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- उनकी ज़िम्मेदारी में भागीदार बैंकों के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों से भुगतान और शुल्क का संग्रह भी शामिल है।
- ऋण उत्पादों के लिए, वे आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करते हुए मूलधन और ब्याज के संग्रह में मदद करते हैं।
- ऋण स्वीकृत होने के बाद निगरानी का कार्य भी व्यवसाय संवाददाताओं द्वारा किया जाता है।

Other important responsibilities:

- For those customers who wish to close their bank accounts, the Business correspondents undertake the accountability to inform the local branch or the centralized hub of Bank/ NBFC about such closure of accounts.
- Upon the death of the bank account holder, business correspondents ensure to inform the bank about deactivation of the account.
- They also consider any risk associated with handling of cash at ground level and take suitable measures to ensure security.
- As intermediaries of the banks, business correspondents ensure the confidentiality of vital customer information.
- For delivery banking services, BCs are authorised to use the equipment and technology as assigned by the banks and are responsible for efficiently using them.

अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ:

- **उन ग्राहकों के लिए जो अपने बैंक खाते बंद करना चाहते हैं:** व्यवसाय संवाददाता ऐसे खातों को बंद करने के बारे में स्थानीय शाखा या बैंक/एनबीएफसी के केंद्रीकृत केंद्र को सूचित करने की जिम्मेदारी लेते हैं।
- **बैंक खाताधारक की मृत्यु पर:** व्यवसाय संवाददाता बैंक को खाते को निष्क्रिय करने के बारे में सूचित करना सुनिश्चित करते हैं।
- वे जमीनी स्तर पर नकदी के प्रबंधन से जुड़े किसी भी जोखिम पर भी विचार करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करते हैं।
- **बैंकों के मध्यस्थों के रूप में:** व्यवसाय संवाददाता महत्वपूर्ण ग्राहक जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं।

- **डिलीवरी बैंकिंग सेवाओं के लिए:** बीसी बैंकों द्वारा सौंपे गए उपकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं और उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं।

Eligibility Criteria for Business Correspondent

As per the guidelines of RBI, banks are allowed to engage individuals and entities as their business correspondents only if they comply with the eligibility criteria. The individuals who are allowed to serve as business correspondents include:

- Retired bank employees, retired government employees and ex-servicemen and retired teachers
- Individual owners of kirana / medical /fair price shops
- Individual Public Call Office (PCO) operators
- Agents of Small Savings schemes of Government of India/Insurance Companies
- Those who own Petrol Pumps, authorized functionaries of well-run Self Help Groups (SHGs) which are linked to banks, any other individual including those operating Common Service Centres (CSCs)

The following entities are allowed to become authorised business correspondents of banks:

- NGOs/ MFIs established under Societies/ Trust Acts
- Section 25 Companies which are standalone entities, or in which NBFCs, banks, telecom companies and other corporate entities or their holding companies did not have equity holdings in excess of 10 per cent
- Cooperative Societies which are registered under Mutually Aided Cooperative Societies Acts/ Cooperative Societies Acts of States/Multi State Cooperative Societies Act
- Post Offices
- Companies that are registered under the Indian Companies Act, 1956 with large and widespread retail outlets, excluding Non-Banking Financial Companies (NBFCs).

व्यवसाय संवाददाता के लिए पात्रता मानदंड

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को, व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने व्यवसाय संवाददाता के रूप में नियुक्त करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वे पात्रता मानदंडों का अनुपालन करते हैं। जिन व्यक्तियों को व्यवसाय संवाददाता के रूप में सेवा करने की अनुमति है उनमें शामिल हैं:

- सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त शिक्षक
- किराना/मेडिकल/उचित मूल्य की दुकानों के व्यक्तिगत मालिक
- व्यक्तिगत सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) ऑपरेटर
- भारत सरकार/बीमा कंपनियों की लघु बचत योजनाओं के एजेंट

- जिनके पास पेट्रोल पंप हैं, अच्छी तरह से संचालित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के अधिकृत पदाधिकारी जो बैंकों से जुड़े हुए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालित करने वालों सहित कोई अन्य व्यक्ति।

निम्नलिखित संस्थाओं को बैंकों के अधिकृत व्यवसाय संवाददाता बनने की अनुमति है:

- सोसायटी/ट्रस्ट अधिनियमों के तहत स्थापित एनजीओ/एमएफआई
- धारा 25 कंपनियाँ जो स्टैंडअलोन संस्थाएं हैं, या जिनमें एनबीएफसी, बैंक, टेलीकॉम कंपनियाँ और अन्य कॉर्पोरेट संस्थाएं या उनकी होल्डिंग कंपनियों की इक्विटी होल्डिंग्स 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है
- सहकारी समितियाँ जो पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम/राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं
- डाक घर
- वे कंपनियाँ जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को छोड़कर, बड़े और व्यापक खुदरा दुकानों के साथ भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

Note Counting Machine

Multiple Choice Questions:

1. What is the main purpose of the Business Correspondent Model?

a) To provide banking services only in urban areas

b) To bring vital banking facilities to financially excluded areas

c) To provide services exclusively to high-income individuals

d) To promote digital banking services nationwide

Answer: b) To bring vital banking facilities to financially excluded areas

2. Which of the following documents is required for cash deposits of Rs. 50,000 and above?

a) Aadhaar card b) Voter ID card c) PAN card d) Passport

3. What is the maximum value of cash withdrawals handled by Business Correspondents per transaction?

a) Rs. 5,000 b) Rs. 10,000 c) Rs. 20,000 d) Rs. 50,000

4. In the context of cheques, what does a crossed cheque signify?

a) It can be encashed at any bank

b) It can only be deposited into a bank account

c) It can only be encashed by the payee

d) It can be transferred to another person

5. Who can serve as a Business Correspondent according to RBI guidelines?

a) Only retired government employees

b) Only NGOs and MFIs

c) Only individuals owning petrol pumps

d) Various individuals and entities meeting eligibility criteria

6. What is the significance of endorsing a cheque?

a) It makes the cheque payable only to the endorsee

b) It renders the cheque invalid

c) It allows the drawer to cancel the cheque

d) It authorizes the payee to deposit the cheque

7. How are commission payments structured for Business Correspondents?

a) Based solely on the number of transactions handled

b) Fixed remuneration with no variable part

c) Combination of fixed and variable parts

d) Paid directly by the customers

8. What is the primary responsibility of Business Correspondents regarding customer accounts?

a) They can close accounts without informing the bank

b) They must ensure confidentiality of customer information

c) They have the authority to freeze accounts

d) They can modify account terms without customer consent

9. What action can a bank take if a cheque is returned due to insufficient funds?

a) It may file a lawsuit against the payee

b) It must honor the cheque regardless of funds

c) It can refuse payment and provide appropriate reason

d) It can suspend the payee's account indefinitely

10. What is the key objective of the Cheque Truncation System (CTS)?

a) To extend the validity period of cheques

b) To facilitate quicker cheque clearance electronically

c) To discontinue the use of cheques altogether

d) To increase the number of bounced cheques

Answer the following questions:

1. Explain the importance of Business Correspondents in promoting financial inclusion in rural areas.
2. Discuss the security procedures involved in handling cash and cheque transactions at banks.
3. How does the Cheque Truncation System (CTS) streamline cheque processing? Discuss its benefits.
4. Explain the process and documents required for large cash deposits and withdrawals at banks.
5. Describe the role and responsibilities of Business Correspondents in delivering banking services on behalf of banks.